न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित तारा चन्द मीणा आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 42/2022 अपील (राजस्व)

श्रीमती गंगा देवी पुत्री भेरा जी पत्नी बाबूलाल खटीक, निवासी वाकियाजी, बावजी के पास, सनवाड तहसील मावली जिला उदयपुर

—— अपीलान्ट

बनाम

1. श्री नरेश पिता बाबरीया खटीक, निवासी पीपली चौक, वार्ड नम्बर 16 शिव ऑयल के पास फतहनगर, तहसील मावली जिला उदयपुर
2. श्रीमती भगवानी बाई बेवा बाबरीया खटीक, निवासी पीपली चौक, वार्ड नम्बर 16 शिव ऑयल के पास फतहनगर, तहसील मावली जिला उदयपुर
3. श्रीमती गूंदीबाई पुत्री बाबरीया पत्नी मांगीलाल खटीक निवासी दरोली तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर
4. श्रीमती चंदाबाई पुत्री बाबरीया खटीक, पत्नी स्व.प्रकाश खटीक निवाी दरोली तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर

—— रेस्पोडेन्टगण

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उपतहसीलदार सनवाड नामान्तरकरण संख्या 86 दिनांक 15.01.1983 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

उपस्थित : श्री सम्पतलाल बोहरा, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री राजमल राव अधिवक्ता विपक्षी

निर्णय

दिनांकः— ....

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा फतहनगर तहसील मावली में आराजी नम्बर 446 रकबा 12 बीघा भूमि अपीलाण्ट के पिता भेरा खटीक की थी। भेराजी के जायन्दा एक लडका बाबरीया पुत्र व गंगा देवी पुत्री ही हुए हैं इसके अलावा अन्य कोई वारिस नही है। भेरा व भेरा जी की पत्नी का स्वर्गवास होने पर बाबरीया ने पटवारी हल्का से मिलकर [illegible] वारिस बताकर अपने नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:55:05 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तरकरण करवा दिया। इसकी जानकारी गंगादेवी को नही दी तथा गंगादेवी को लोन की आवश्यकता हुई तो खाते की नकल प्राप्त करने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर पता चला कि आराजी नम्बर 446 की जमीन कभी भी आपके नाम नही हुई उक्त जमीन आपके पिताजी के स्वर्गवास के बाद बाबरीया ने अपने नाम दर्ज करवा ली है। पिता की मृत्यु के बाद कथित जमीन को उसके भाई बाबरीया ने पटवारी हल्का से मिलकर अकेला वारिस बताकर म्यूटेशन खुलवाकर भरवा दिया व नायब तहसीलदार से स्वीकृत करवा दिया। अपीलाण्ट को बिना सूने कथित म्यूटेशन खोलकर स्वीकृत करवा दिया वह एबनिश्योवोइड होकर न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होकर काबिल निरस्त है। भेराजी का स्वर्गवास 1983 में हुआ एवं तथाकथित जायदाद भेराजी की व्यक्तिगत होने से लडके व लडकी दोनो का बराबर हक व अधिकार है। दोनो ही मालिक काबिल होकर कानूनी खातेदार काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने भेराजी के वारिसान की जांच किये बिना जो म्यूटेशन स्वीकृत करने का आदेश दिया तथा बाबरीया को भेरा का अकेला वारिस मानकर म्यूटेशन स्वीकृत किया वह गलत है। अपीलाण्ट को इसका पता 07.06.2022 को चलने एवं नकल प्राप्त होने पर अपील प्रस्तुत की जा रही है। कथित आदेश हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के विपरीत होकर काबिल निरस्त है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 86 निरस्त फरमाया जाकर उक्त जमीन अपीलाण्ट के व बाबरीया के नाम बराबर हक व हिस्से से यानि 1/2, 1/2 हक व हिस्से से दर्ज करायी जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

अपने अपील मेमो के साथ में एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भेरा जी की मृत्यु 1983 में हुई एवं उनके जाईन्दा एक पुत्र व पुत्री (अपीलाण्ट) है लेकिन अपीलाण्ट के भाई बाबरीया ने केवल अपने नाम से नामान्तरकरण करवा लिया जिसकी जानकारी दिनांक 07.06.2022 को होने पश्चात उसी दिन नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत

Signature Not Verified

Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:55:05 IST
Reason: SelfAttested

की गई है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील को न्यायहित में अवधि में शुमार फरमाया जाना फरमावे।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत नही कर सीधे ही बहस की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा फतहनगर तहसील मावली में आराजी नम्बर 446 रकबा 12 बीघा भूमि अपीलाण्ट के पिता भेरा खटीक की थी। श्री भेराजी के जाईन्दा एक पुत्र बाबरीया व एक पुत्री गंगा होकर अन्य कोई वारिस नही है। अपीलाण्ट के भाई बाबरीया ने इकलौता वारिस बताते हुए अपने नाम नामान्तरकरण खुलवा लिया जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को नही थी। अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना वारिसान की जांच किये, अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये ही बाबरीया के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। अपीलाण्ट को लोन की आवश्यकता होने पर पटवारी हल्का से नकल लेने के लिए जाने पर पता चला कि उक्त आराजी बाबरीया के नाम दर्ज है एवं अपीलाण्ट के नाम कभी नही रही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जांच किये, बिना सुनवाई के, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के विपरित होकर आदेश पारित किया है जो काबिले निरस्त है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरकरण संख्या 86 निरस्त फरमाया जाकर उक्त जमीन अपीलाण्ट के व बाबरीया के नाम बराबर हक व हिस्से से यानि 1/2, 1/2 हक व हिस्से से दर्ज करायी जाने का आदेश प्रदान कराया जावे। अपने कथनों की ताईद में निम्नांकित दृष्टांत प्रस्तुत किये हैः आर.बी.जे (9) 2002 पेज नं. 88, आर.बी.जे (9) 2002 पेज नं. 91, आर.बी.जे (16) 2009 पेज नं. 204, आर.बी.जे (16) 2009 पेज नं. 208, आर.बी.जे (9) 2002 पेज नं. 108, आर.बी.जे (9) 2002 पेज नं. 111, आर.बी.जे (13) 2006 पेज नं. 1, आर.बी.जे (8) 2001 पेज नं. 186, आर.आर.डी 1995 पेज नं. 567, आर.आर.डी 1995 पे[illegible] [illegible]5 अपीलाण्ट के नामान्तरकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand
Meena
Date: 2022.11.01 11:55:05 IST
Reason: SelfAttested

में पक्षकार नही होने से अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 का प्रस्तुत किया गया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा निवेदन किया गया कि नामान्तरकरण नियमानुसार किया जाकर उपतहसीलदार सनवाड द्वारा स्वीकृत किया गया है।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का विस्तृत अध्ययन किया गया। विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि नामान्तरकरण संख्या 86 दिनांक 15.01.1983 से भूमि का नामान्तरकरण सन 1983 का है जिसके विरूद्ध अपील 04.07.2022 को 38 वर्षो बाद की गई है। अपीलार्थी गंगा देवी पुत्री भेरा जी खटिक द्वारा जिन विपक्षीगणों के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है उनके नाम पर वर्तमान में भूमि दर्ज नहीं होकर भूमि जरिये विक्रय पत्र के आधार पर पश्चातवर्ती खातेदार जशोदा देवी पत्नी मोहनलाल वागडी हिस्सा 1/4, प्रमिला पत्नी विनय दायमा हिस्सा 1/4, राकेश पुत्र रोशनलाल चौहान हिस्सा 1/4, सुशीला पत्नी रोशनलाल चौहान हिस्सा 1/4 जाति खटीक के नाम दर्ज होकर पश्चातवर्ती खातेदारान द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क के अधीन कृषि भूमि का गैर कृषि के प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्राप्त करने से उक्त आराजी संख्या 446 रकबा 1.9425 हैक्टेयर किस्म आबादी होकर नगरपालिका फतहनगर के नाम दर्ज रेकार्ड है। वर्तमान में भूमि हस्तांतरित हो चुकी है एवं भूमि की किस्म आवासीय दर्ज है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अपीलाण्ट राहत चाहता है तो सक्षम न्यायालय में प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध वाद दायर कर नियमानुसार अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:55:05 IST
Reason: SelfAttested